

# दरगाह कमेटी, दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर

(अल्पसंख्यक कार्यमंत्रालय की वैधानिक संस्था दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट 1955(36) के तहत गठित)



क्र.: डी.के.एस./मिनी उर्स/अ.निविदा/2022/1210

दिनांक : 22.07.2022

प्रेषित:-

मेसर्स गुप्ता जी एडवराटाईजिंग एण्ड न्यूज एजेन्सी  
मदार गेट, अजमेर

**विषय : DAVP दर पर निविदा प्रकाशन बाबत ।**

महोदय जी,

निम्न अल्पकालीन निविदा सूचना को दिनांक 23.07.2022 के दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका के अजमेर संस्करण में DAVP दर पर प्रकाशित कर बिल मय दो समाचार पत्रों की प्रतियों के साथ प्रस्तुत करने की कृपा करें।

### अल्पकालीन निविदा सूचना

मोह्रम-1444 (मिनी उर्स 2022), दिनांक 30 जुलाई से 09 अगस्त 2022 तक की अवधि के लिए निम्नलिखित कार्यो हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है।

1. विश्रामस्थली, कायड़ पर वाहनों की पार्किंग निविदा।
2. ईदगाह, केसरगंज में चौपहिया वाहन की पार्किंग निविदा।
3. अस्थाई तौर से 16 CCTV with surveillance system कायड़ विश्राम स्थापित करने का कार्य निविदा।
4. विश्रामस्थली, कायड़ पर निर्धारित प्रिंटिंग, फ्लैक्स एवं फिक्सींग कार्य हेतु दर बाबत निविदा।
5. विश्रामस्थली पर पूर्णतः अस्थाई रूप से कार्य करने के योग्य व्यक्ति पूर्ण विवरण मय पहचान पत्र के साथ नाज़िम कार्यालय, कायड़ विश्रामस्थली पर दिनांक 28.07.2022 तक आवेदन कर सकते हैं।

इच्छुक आवेदक/फर्म/निविदादाता नाज़िम कार्यालय की वेबसाईट [www.gharibnawaz.minorityaffairs.gov.in](http://www.gharibnawaz.minorityaffairs.gov.in) से निविदा प्रपत्र एवं शर्तें डाउनलोड अथवा व्यक्तिगत 500 रूप्यें शुल्क देय करते हुए नाज़िम कार्यालय, दरगाह शरीफ से दिनांक 28 जुलाई 2022, अपराह्न 02:00 बजे तक प्राप्त कर जमा करा सकते हैं। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 28 जुलाई 2022 को साय: 4 बजे उपस्थित निविदादाताओं एवं दरगाह कमेटी द्वारा खोली जाएगी। फार्म डाउनलोड करने पर प्रपत्र शुल्क अतिरिक्त देय होगा।

नज़िम एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी

  
कृते नाज़िम

# दरगाह कमेटी, दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर

(अल्पसंख्यक कार्यमंत्रालय की वैधानिक संस्था दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट 1955(36) के तहत गठित)



अल्पकालीन निविदा प्रपत्र : विश्रामस्थली, कायड पर निर्धारित फलैक्स एवं फिक्सींग कार्य दर हेतु।

निविदा प्रपत्र : निःशुल्क

निविदा फार्म क्र : डी.के.एस./मिनी उर्स/अ.निविदा/2022/1210/ 22.07.2022

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने एवं जमा कराने की तिथि : 28.07.2022 अपराह्न 02 बजे तक।

प्राप्त निविदा प्रपत्र खोले जाने की तिथि : 28.07.2022 सायं : 04 बजे तक।

1. निविदा दाता/फर्म का नाम : .....
2. पता (स्थाई) : .....
3. मोबाईल नम्बर : .....
4. पहचान पत्र : .....
5. पैन नम्बर : .....
6. रजि. नम्बर (यदि फर्म होतो) : .....
7. कार्य अनुभव विवरण : .....
8. निविदा दर (Per Sq. Ft.) : (अंको में) .....
- (सामान्य क्वालिटी मय फिक्सींग) (शब्दों में).....

यह की इस निविदा के सम्बन्ध में विशिष्ट नियम/शर्तों मेरे द्वारा अच्छी तरह से पढ़ व समझ ली गई है जिसके प्रमाण स्वरूप इस प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये गए हैं मैं इन शर्तों की पालना करने के लिए वचनबद्ध हूँ।

नोट : नियम एवं शर्तें सलग्न 1 पृष्ठ।

हस्ताक्षर मय सील निविदा दाता

# दरगाह कमेटी, दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर

(अल्पसंख्यक कार्यमंत्रालय की वैधानिक संस्था दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट 1955(36) के तहत गठित)



## नियम और शर्तें

### अस्थाई हेतु विश्रामस्थली, कायड पर निर्धारित फ्लैक्स एवं फिक्सींग कार्य दर हेतु।

1. निविदादाता को दरगाह कमेटी की समस्त नियम और शर्तों की पालना करनी होगी।
2. प्राप्त न्यूनतम निविदा दर को निविदा कार्य आवंटित किया जाएगा।
3. निविदा दाता को निविदा प्रपत्र के साथ पहचान हेतु पैनकार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज़ फोटो एवं फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की फोटो प्रतियां सलंगन करनी अनिवार्य है।
4. निविदा कार्य हेतु यदि सरकार की कोई ड्यूटी या टैक्स प्रभावी है तो निविदा दाता द्वारा देय होगी।
5. सीलबंद निविदा फार्म जिस पर **अस्थाई विश्रामस्थली, कायड पर निर्धारित फ्लैक्स एवं फिक्सींग कार्य दर हेतु** अंकित कर **कार्यालय नाज़िम एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी, दरगाह कमेटी, दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर** निर्धारित तिथि तक नाज़िम कार्यालय के निविदा बॉक्स में डालनी होगी।
6. उक्त फ्लैक्स बैनर एवं फिक्सींग का कार्य दरगाह कमेटी द्वारा चिन्हीत/निर्धारित स्थानों पर करना होगा।
7. सफल निविदा दाता को दिनांक 31 जुलाई 2022, तक कार्य पूर्ण करना होगा एवं इसके पश्चात् भी आदेशानुसार कार्य करना होगा।
8. कार्य के दौरान किसी भी कार्मिक की दुर्घटना हो जाए तो उसकी समस्त जिम्मेदारी सफल निविदा दाता की होगी। दरगाह कमेटी का इससे कोई सरोकार नहीं होगा।
9. सफल निविदा दाता द्वारा कार्य को स्थानांतरित/सबलेट नहीं किया जाएगा।
10. निर्धारित दिनांक व समय के बाद प्राप्त होने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
11. नाज़िम एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी को किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
12. निविदा प्रपत्र में काट छांट, अस्पष्ट लेखन या अवर राईटिंग होने पर निविदा निरस्त होगी।
13. दरगाह कमेटी के सक्षम अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा निरीक्षण करने पर पूर्ण सहयोग करना होगा।
14. उक्त कार्य को पूर्ण करने के पश्चात् नाज़िम कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापन करवा कर उक्त बिल कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। एवं उसकी सूची मय बिल प्रस्तुत करनी होगी।
15. फ्लैक्स की निर्धारित डिजाईन, नाप, दरगाह कमेटी द्वारा स्वीकृत की जाएगी।

दिनांक :

निविदा दाता के हस्ताक्षर  
मय नाम एवं पूर्ण पता